रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 291] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 5, 1972/अग्रहायण 14, 1894

No. 291] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 5, 1972/AGRAHAYANA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 4th December 1972

G.S.R. 479(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 148-Customs, dated the 15th November, 1969, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in the Table annexed hereto and falling under Item No. 28 of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when imported into India for the manufacture of penultimate dye-intermediate, or dye-stuff, or both, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of—

(i) 40 per cent *ad valorem*, where the standard rate of duty is leviable; and

(ii) 30 per cent *ad valorem*, where the preferential rate of duty is leviable:

Provided that the importer shall execute a bond undertaking to pay on demand an amount equal to the duty which would have been, but for such exemption, leviable on the goods or any part thereof, which have been used for any purpose other than the purposes specified in this notification:

Provided further that the Assistant Collector of Customs may, if he is satisfied that the goods are required for the purpose specified in this notification, exempt the importer from executing any bond.

2. Every bond referred to in paragraph 1 shall be for an amount equal to the duty which has not been levied because of the exemption made by this notification and shall be in such form and with such surety as may be specified by Assistant Collector of Customs.

TABLE

1. Alpha Naphthylamine
2. 2-Choloro-4-nitro aniline
3. 3,3'-Dichloro banzidine
4. N. N. Diethylaniline
5. 3,3'-Dichloro Benzidine dihydrochloride,
6. Meta-dinitro benzene
7. Meta nitro chloro benzene
8. Mono-chloro-para-xylene (1-chloro-2, 5-dimethyl benzene or 2-chloro-1, 4-dimethyl benzene).
9. Ortho-nitro Chloro benzene
10. Ortho nitro toluene
11. Ortho Tolidine
12. Para nitro toluene
13. Para toluidine-ortho-sulphonic acid [Para toluidine (1-methyl 4-amino)-2 sulphonic acid].
14. Para nitro chloro benzene.

3. This notification shall be in force up to and inclusive of the 31st December, 1974.

[No. 131/F. No. 359/8/72-Cus. I.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1972

सा० का० नि० 479 (अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 148 सीमाशुल्क, तारीख 15 नवम्बर, 1969 को अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, इससे उपबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट और भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 28 के अन्तर्गत आने वाले माल को, जब उसका भारत में आयात पूर्वान्तिम रंजक वस्तु (Penultimate dye-intermediate) के रूप में या रंजक द्रव्य (Dye-stuff) के रूपों में या दोनों रूपों में विनिर्माण करने के लिए किया जाता हो, उस पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के उतने भाग से जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो,

(i) जहां मानक दर से शुल्क उद्ग्रहणीय है वहां मूल्यानुसार 40 प्रतिशत; और

(ii) जहां अधिमान्य दर से शुल्क उद्ग्रहणीय है, वहां मूल्यानुसार 30 प्रतिशत से अधिक है, एतद्द्वारा छूट देती है।

परन्तु आयात कर्त्ता एक बन्धपत्र निष्पादित करेगा जिसमें वह इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि यदि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी दूसरे प्रयोजन के लिए वह माल अथवा उसका कोई भाग व्यवहार में लाता है तो उसे उस उद्ग्रहणीय शुल्क के बराबर रकम संदत्त करनी पड़ेगी जो उसे ऐसी छूट न होने की दशा में उस पर उद्ग्रहणीय होती :

परन्तु यह और कि यदि सहायक कलेक्टर, सीमाशुल्क का यह समाधान हो जाता है कि माल इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हैं तो वह आयात कर्त्ता को कोई बन्ध-पत्र निष्पादित करने से छूट दे सकेगा ।

2. पैरा 1 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक बन्ध-पत्र शुल्क की उतनी रकम के बराबर होगा जितनी वह इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के कारण उदग्रहीत नहीं की गई है और बन्ध-पत्र ऐसे प्ररूप में और ऐसे प्रतिभूति सहित होगा जैसा सहायक कलेक्टर, सीमाशुल्क द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

सारणी

1. ऐल्फा नैपथिलेमिन
2. 2 क्लोरो–4 नाइट्रो ऐनिलीन
3. 3:3 डाइक्लोरो बैंजीडीन
4. एन० एन० डाई एथिल-ऐनिलीन
5. 3:3 डाइक्लोरी बैंजीडीन डाइहाईड्रोक्लोराइड
6. मैटा डाइनाइट्रोबैंजिन
7. मैटा नाइट्रो क्लोरो बैंजीन
8. मोनो क्लोरो पैरा जाइलीन (1–क्लोरो–2, 5–डाई मैथिल बैंजीन या 2–क्लोरो-1, 4-डाई मैथिल बैंजीन)
9. ओ-नाइट्रो–क्लोरो बैंजीन
10. ओ–नाइट्रो टालूईन
11. ओ-टालिडीन
12. पी–नाइट्रो टालूईन
13. पैरा टाल्यूडीन–ओ–सल्फोनिक आम्ल [पैरा टाल्यूडीन (1मैथिल–4 ऐमिनो) –2–एल्फोनिक अम्ल]
14. पैरा नाइट्रो क्लोरो बैंजीन

3. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1974 तक, जिसमें 31 दिसम्बर, 1974 भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी ।

[सं० 131/एफ० सं० 359/8/72–सी० शु० I]

G.S.R. 480(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 71-Customs dated the 24th May, 1972.

[No. 132/F. No. 355/94/72-Cus. I.]

D. KRISHNAMURTI, Under Secy.

सा०का०नि० 480 (अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान होने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 71 सीमाशुल्क तारीख 24 मई, 1972 को एतद्-द्वारा निरस्त करती है।

[सं० 132/एफ० सं० 355/94/72 सी०शु०—1]

डी० कृष्णामूर्ति, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972